

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
दूरभाष: 0141-2709846 E-mail: ad.csr.dse@rajasthan.gov.in



क्रमांक : रा.स्कू.शि.प/जय/सीएसआर/प्लॉन/2022-23/8587

दिनांक : 23/12/2022

कार्यालय आदेश

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022-23 के प्रावधान अनुसार ज्ञान संकल्प पोर्टल केआरपी प्रशिक्षण हेतु राज्य के 33 जिलों में प्रत्येक जिले स्तर के दो तथा ब्लॉक स्तर के 2 के.आर.पी. कुल 668 का प्रशिक्षण संभाग स्तर पर आयोजित किया जाना है।

इन प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश रास्कूशिप/जय/सीएसआर/प्लॉन/2019-20/4608 दिनांक 18-10-2021 जारी किये जा चुके हैं। इन प्रशिक्षणों के आयोजन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति रास्कूशिप/जय/सीएसआर/प्लॉन/2022-23/7479 दिनांक 22-11-2022 व वित्तीय व आहरण सीमा स्वीकृति रास्कूशिप/जय/सीएसआर/प्लॉन/2022-23/8072 दिनांक 07-12-2020 द्वारा जारी कर राशि आयोजक जिले के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को एसएसए बैंक खाते के माध्यम से आहरण सीमा स्वीकृत की जा चुकी है। इन प्रशिक्षणों के आयोजन दिनांक निम्न अनुसार निर्धारित किये जाते हैं-

क्र. सं.	प्रशिक्षण स्थान जहां राशि जारी की जानी है।	जिले का नाम जिनका प्रशिक्षण होना है।	आवंटित केआरपी संख्या	आयोजन दिनांक
1	बूंदी	बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़	60	10-01-2023
2	करौली	भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर	62	12-01-2023
3	दौसा	अलवर, दौसा, जयपुर	84	13-01-2023
4	भीलवाड़ा	अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक	90	16-01-2023
5	बांसवाड़ा	डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़	58	17-01-2023
6	राजसमंद	चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर	76	19-01-2023
7	सिरोही	जालोर, पाली, सिरोही	52	20-01-2023
8	हनुमानगढ़	बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़	52	23-01-2023
9	चुरू	चुरू, झुंझुन, सीकर	54	24-01-2023
10	जैसलमेर	बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर	80	31-01-2023
	योग		668	

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिलें अपने जिले के निर्धारित संख्या में केआरपी का चयन कर सूची राज्य कार्यालय व आयोजित जिले के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें एवं चयनित संभागियों से निर्धारित कार्यक्रम से पूर्व सम्पर्क कर आयोजन स्थल पर भिजवाना सुनिश्चित करावें। अपरिहार्य परिस्थितियों में चयनित संभागियों में से किसी संभागी का भाग लेना संभव ना हो तो उनके स्थान पर जिलों द्वारा राज्य स्तर पर भेजी गई सूची में से अन्य संभागी का चयन भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आयोजन जिला आयोजन स्थान का चयन कर अपने संभाग के अन्य जिलों को 4 दिवस पूर्व अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे। जिससे प्रशिक्षण में 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आयोजन में राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी कोविड दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
दूरभाष: 0141-2709846 E-mail: ad.csr.dse@rajasthan.gov.in

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प/जय/सीएसआर/प्लॉन/2022-23/8587 दिनांक : 23/12/2022

प्रशिक्षणों को आयोजन हेतु पूर्व में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

प्रशिक्षण आयोजनकर्त्ता जिला निम्नानुसार व्यवस्थाएँ करना सुनिश्चित करें-

1. आवंटित संभागियों अनुसार प्रशिक्षण स्थान की चयन कर चार दिवस पूर्व अपने संभाग के अन्य जिलों को सूचित करना।
2. नियमानुसार अल्पाहार, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना।
3. प्रशिक्षण के शीर्षक को स्पष्ट करने हुए बैनर की व्यवस्था।
4. प्रशिक्षण देने वाले संदर्भ व्यक्तियों से समन्वय कर प्रशिक्षण सत्रों का संचालन करना।
5. भाग लेने वाले संभागियों के यात्रा भत्ता व मानदेय के भुगतान की 7 दिवस में व्यवस्था करना।
6. संभागी जिलों से अनुसार किये गये व्यय को जिलों को भेजकर प्रबंध पोर्टल पर प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था करवाये।

(डॉ. मोहन लाल यादव)

आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर
2. निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
3. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
4. उपायुक्त प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त को देकर लेख है कि वे अपने जिले के संभागियों को अनिवार्यतः 100 प्रतिशत भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. प्रभारी, सीएसआर प्रकोष्ठ, रा.स्कू.शि.प. को देकर लेख है कि उपरोक्त कार्यक्रम अनुसार में प्रकोष्ठ से प्रशिक्षण देने हेतु एक अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी, सीएसआर प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को देकर लेख है कि उपरोक्त कार्यक्रम अनुसार में प्रकोष्ठ से प्रशिक्षण देने हेतु टीम को भिजवाना सुनिश्चित करें।
9. रक्षित पत्रावली

(डॉ. अनिल कुमार)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक